संख्या- 5 /2017 /1675 सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पॉच माह **(माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017)** हेतु शक्कर विशेष निधि के अधीन प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शक्कर विशेष निधि/ प्रचार निधि के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **कार्यसूची संख्या-6** के अनुसार, शक्कर विशेष निधि/ प्रचार निधि के अधिष्ठान व्यय हेतु, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माह **(माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017)** के लिए **निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू.65.00 लाख (रूपये पैंसठ लाख मात्र)** आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- (धनराशि **लाख रूपये में)**

क्र. सं.	**मद** का नाम	प्रथम पांच माह हेतु स्वीकृत धनराशि	
		शक्कर विशेष निधि अधिष्ठान हेतु	**प्रचार निधि अधिष्ठान हेतु**
1	**2**	**3**	**4**
1	वेतन एवं अन्य भत्ते	29.04	18.925
2	अवकाश यात्रा सुविधा	----	----
3	यात्रा भत्ता	0.12	0.100
4	कार्यालय व्यय	0.10	----
5	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.30	---
6	लेखन सामग्री	0.25	---
7	रिट याचिकाओं की पैरवी एवं अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक व्यय	0.10	---
8	वाहनों के पेट्रोल एवं अनुरक्षण पर व्यय	15.00	0.850
9	भवन मरम्मत अग्रिम हेतु	---	---
10	टेलीफोन, ब्राडबैण्ड	---	0.130
11	वर्दी	---	0.085
	योग	**44.91**	**20.09**
	महायोग (कालम-3+4)	**65.00**	

(रूपया पैंसठ लाख मात्र)

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस -2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लें कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों /शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य व्यय/ मद पर वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/ निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्टआफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि की, दी गई तालिका में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

6- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू.65.00 लाख** को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24(राजस्व लेखा) के लेखा शीर्ष-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यक फसलें-03-गन्ना-0301-**उ.प्र. **गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या- 5 /2017 /1675 (1)सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयोजक, उ.प्र. शक्कर विशेष निधि समिति।

------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1

8- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2

9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।